

08/4/20  
09/12/20

### उभय पक्ष अनुपस्थित ।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद अपीलकर्ता के द्वारा तमिऴु भाषण के आधार पर दिनांक 24/05/2018 से चला आ रहा है।

अपीलकर्ता द्वारा अंपल अधिकारी, पन्डित के दायित्व- (नारीय वाद सं- 2793/11) में पात्र आवेय को लगाने से कि नियम के विरुद्ध आवेय पात्र मिला है तो ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता को खाली न्यायालय में अपील दाखल कर अपील की त्वाह विपश्य कर लेनी है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलकर्ता के द्वारा तमिऴु भाषण को अन्वीक्ष्य करने से वाद की सादीयत समाप्त मिया जागी है।

L.P.M.C